भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या44
22.07. 2026को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब

*44. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन और जिला प्राधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स निधि के उपयोग में विलंब की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कार्यों को निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित करने में विफल रहने, निधि के उपयोग में विलंब करने अथवा वैध कारणों के बिना भुगतान जारी करने में विफल रहने वाले जिला प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के खराब कार्यान्वयन के लिए किन्हीं जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों को चेतावनी, कारण बताओ नोटिस, निदेश जारी किए गए हैं या उनके विरुद्ध कोई अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कार्यों का समय पर निष्पादन और सार्वजनिक निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकारियों के कार्य-निष्पादन के आवधिक मूल्यांकन सहित एक समयबद्ध जवाबदेही तंत्र शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *44 दिनांक 22 जुलाई, 2026 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित कथन

(क) एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4 के अनुसार, संसद सदस्य द्वारा की गई सभी संस्तुति के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति, संस्तुति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी।

एमपीलैड्स दिशा-निर्देश, 2023 के पैरा 3.2.6 के अनुसार, किसी विशेष कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि में एमपीलैड्स दिशा-निर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4 में उल्लिखित समय-सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.12 के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए कठिन/पहाड़ी इलाकों आदि में, जहाँ कार्यान्वयन की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना हो, उसके लिए विशिष्ट औचित्य स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा।

(ख) मंत्रालय नियमित रूप से राज्य नोडल प्राधिकरणों को परामर्श जारी करता है तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिला प्राधिकरणों के साथ मासिक एवं तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, ताकि योजना दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कार्यों की समयबद्ध स्वीकृति, क्रियान्वयन एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल के संचालन से निधि प्रवाह और परियोजना निगरानी के लिए कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी ने पारदर्शिता को बढ़ाया है , वास्तविक समय में कार्य प्रगति निगरानी रिपोर्ट के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया है, जिसमें संस्तुति की तारीख से 45 दिनों के बाद भी स्वीकृति के लिए लंबित कार्यों का विवरण, स्वीकृति के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण कार्य और स्वीकृति के तीन महीने के भीतर भुगतान न किए गए कार्यों का विवरण शामिल है को राज्य/जिला लॉगिन के तहत उपलब्ध कराई गई हैं ताकि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केंद्रित निगरानी और समीक्षा को सुगम बनाया जा सके। प्रगति की समीक्षा करने, बाधाओं को दूर करने और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

(ग) एवं (घ) एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को किसी भी कार्य को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सक्षम प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित सांविधिक और नियामक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं, कि कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और कि संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से एक लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त की गई है, जिसमें उसने प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव की लागत अपने संसाधनों से वहन करने की अपनी सहमति दी है।

एम्पीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के पैरा 4.3.4 के अनुसार, किसी भी संबंधित व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के वास्तविक उल्लंघन और जानबूझकर गैर-अनुपालन के ऐसे सभी मामलों में दोषी/अपराधी अधिकारियों/ कार्यान्वयन एजेंसियों/ विक्रेताओं आदि के लिए उत्तरदायित्व तय करेगी तथा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।

तथापि, यह पाया गया है कि एमपीलैड योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियों के जारी करने में विलंब आमतौर पर अधूरे प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, स्थानीय विवादों, भूमि उपलब्धता या स्थल व्यवहार्यता से संबंधित प्रतिबंधों, सांविधिक मंजूरी की आवश्यकताओं, तथा जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं जैसे कारकों के कारण होती है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यों की समय पर जांच, स्वीकृति और निष्पादन की जिम्मेदारी जिला प्राधिकरणों पर है।

जब भी अत्यधिक विलंब के मामले मंत्रालय के संज्ञान में लाए जाते हैं, तो संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार और जिला प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वे मामले की जांच करें तथा लागू सेवा नियमों के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी और निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करें।

इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स योजना 1 अप्रैल 2025 से मॉडल 2 से मॉडल 1ए (टीएसए हाइब्रिड) में परिवर्तित हो गई है। मॉडल 1ए के तहत, पीएमयू-सीएनए ने आरबीआई के साथ एक असाइनमेंट खाता शुरू किया है, जो केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)-बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। एमपीलैड्स ई-साक्षी पर एक दिन में बनाए गए बिलों के आधार दैनिक निधि की मांग को जनरेट करेगा, जिसे अनुमोदन के लिए पब्लिक फ़ाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) को भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद, निधि आरबीआई असाइनमेंट खाते से सीएनए बैंक खाते में और इसके बाद सीधे विक्रेताओं को हस्तांतरित की जाती है। यह तंत्र किसी भी स्तर पर निधि के अवरोध के बिना पूरी तरह से सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

(ङ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए एमपीलैड योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जो 16वें वित्त आयोग चक्र सह-सत्रावसान होगी। मंत्रालय ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, निर्धारित समय-सीमाओं का उचित पालन करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा हेतु संशोधित योजना दिशानिर्देशों में सुदृढ़ प्रावधान का समावेश किया जाता हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमपीलैड्स कार्यों का केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों द्वारा अनिवार्य निरीक्षण।
- केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान।
- एमपीलैड्स कार्यों को केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की निगरानी के दायरे में शामिल करना।
- एमपीलैड्स कार्यों का तृतीयपक्ष मूल्यांकन गुणवत्ता-, परिणामों और अनुपालन का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल को लगातार नई कार्यक्षमताओं के साथ उन्नत किया - जा रहा है ताकि हितधारक एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी, समीक्षा और अनुश्रवण कर सकें, जिससे अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन में अधिक वृद्धि होगी ।
